File No.7-26(05)/2020-PAT

भारत सरकार/Government of India संचार मंत्रालय/Ministry of Communications दूरसंचार विभाग/Department of Telecommunications

Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated:23/07/2020

CIRCULAR No. 135

Subject: Travelling Allowance Rules-Submission of Boarding Pass along with TA Bill.


The undersigned is directed to forward herewith a copy of Department of Expenditure OM No. 19030/3/2014-E.IV dated 23.06.2020 on the subject cited above for information and necessary action. Hindi version of this OM is also enclosed.

Encl: As above.

(Bulley Mishra) Astt. Director General (PAT) Ph: 23036245

Copy to:

- 1. PPS to Secretary (Telecom)
- 2. PPS to Member(T)/ Member(S)/ Member(F)
- 3. PPS to Director General Telecom/ CGCA
- 4. All Advisors/ Sr. DDG (TEC)/ (NTIPRIT)/ (NCCS)
- 5.All Heads of Telecom LSAs/ CCAs
- 6. CMD, BSNL/MTNL/TCIL/BBNL
- 7. Executive Director, C-DOT/Dir. WMO, New Delhi;
- 8. Director (Staff), Director (SEA), Director (Civil), DoT, New Delhi
- 9. Director (IT), DOT for posting this circular on the web-site of DOT;
- 10. Dy. Secretary (Admin-I)/ (Admin-II)/ (Admin-III) & (Admin-IV), DoT
- 11. PAO and all the concerned Sections, DOT, New Delhi;
- 12. SO (Pay Bill), DoT, HQ, Sanchar Bhawan



फा.सं.19030/3/2014-ई.IV भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक:

23 जून, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियम - यात्रा भत्ता बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08.10.2014 के का.जा. सं.19030/3/2014-ई.IV का संदर्भ तेने का निदेश हुआ है जोकि बोर्डिंग पास को इस प्रमाण के रूप में जमा करने के संबंध में है कि यात्रा वास्तव में अधिकारी द्वारा की गई है।

इस विभाग में यात्रा भत्ता दावों के साथ बोर्डिंग पास जमा किए जाने की शर्त को रद्द किए जाने के संबंध में अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर विभाग द्वारा विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी यात्रा भत्ता बिल के साथ बोर्डिंग पास जमा करने में असमर्थ है तो वह बोर्डिंग पास के एवज़ में यात्रा भत्ता बिल के साथ एक स्व-घोषणा प्रमाणपत्र जमा कर सकता है। स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र का प्रपत्र अनुबंध के रूप में संलग्न है। यदि अधिकारी अवर सचिव स्तर से नीचे (अर्थात् पे लेवल-10 तथा उससे कम) का है तो इस प्रपत्र को नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षित किया जाना आवश्यक है।

3. ये निर्देश केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा दौरे पर की गई यात्रा के संबंध में लागू होंगे। सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिया जाता है कि वे इन निर्देशों को अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग

प्रतिलिपि: मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार सीएंडएजी, लोक संघ सेवा आयोग आदि।

बोर्डिंग पास के एवज में स्व-घोषणा प्रमाणपत्र

(व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23.06.2020 के का.जा. सं.
19030/3/2014-ई.IV के अनुसार)
मैं, (कर्मचारी का नाम), पुत्र/पुत्री श्री एतद्वारा घोषणा तथा
प्रमाणित करता/करती हूं कि -
1. मेरा बोर्डिंग पास गुम हो गया है और मेरे पास कोई डिजीटल/हार्ड कॉपी नहीं है।
2. मैंने(दौरा किए गए कार्यालय का पता) का दौरा करने के
लिए(एअरलाइन कंपनी/ प्राधिकृत एजेंसी) द्वारा जारी पीएनआर सं
दिनांकके हवाई टिकट, जिसे मेरे कार्यालय/ मेरे द्वारा/ पीएसयू द्वारा/ स्वायत्त निकाय द्वारा
खरीदा गया था, का इस्तेमाल करकेसेसे (दिनांक) तक वास्तव में यह यात्रा
की थी।
3. मैंने(दौरा किए गए कार्यालय का पता) का दौरा करने के
लिए(एअरलाइन कंपनी/प्राधिकृत एजेंसी का नाम) द्वारा जारी पीएनआर
संख्यादिनांकके हवाई टिकट का इस्तेमाल करकेसे
(दिनांक) तक दौरे से वापसी के लिए वास्तव में यह यात्रा की थी।
4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैंने किसी अन्य स्रोत/कार्यालय से इस यात्रा के लिए कोई
आंशिक अथवा प्रा दावा न तो किया है और न ही करूंगा/करूंगी।
5. यदि मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो मैं समय-समय
पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत
अन्शासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हुँगा/हुँगी और सरकार को दण्डात्मक ब्याज सहित पूरी धनराशि
लौटाऊंगा/ लौटाऊंगी।
(हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)
सरकारी कर्मचारी का नाम
पदनाम
कार्यालय का नाम

नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

No.19030/3/2014-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi, Dated the 23rd June, 2020.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Travelling Allowance Rules- Submission of Boarding Pass alongwith TA Bill.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.19030/3/2014-E.IV dated 08.10.2014 regarding submission of Boarding Pass as a proof that the journey was actually performed by the official.

- 2. Several references are being received in this Department to do away with the condition of submission of Boarding Pass with the TA claims. The matter has been considered in this Department and it has been decided that in case, a Government servant is unable to submit the Boarding Pass alongwith TA Bill, he can submit a self-declaration certificate in lieu of Boarding Pass alongwith TA Bill. The proforma for self certification is enclosed as **Annexure**. The proforma needs to be countersigned by the Controlling Officer in case of officials below the Under Secretary level (i.e. from Pay level 10 and below).
- 3. These instructions will be applicable in respect of journey on tour performed by employees of Central Government. Ministries/Departments are advised that these instructions may be brought to the notice of all concerned for compliance.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

All Ministries / Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to: C&AG, UPSC etc as per standard endorsement list.

Self-declaration Certificate in lieu of Boarding Pass

(In terms of OM No. 19030/3/2014-E.IV dated 23.06.2020 issued by D/o Expenditure, M/o Finance, Government of India)
I (Name of the employee, S/o or D/o) hereby declare and certify that:
1. I have misplaced my Boarding Pass and do not have a digital/physical copy.
2. I have actually performed the onward journey on Tour from
3. I have actually performed the return journey on Tour from
4. I further declare that I have neither claimed nor I will claim part or full of this claim for this journey from any other source/office.
5. In case the above declaration given by me is not found true at any stage, I shall be liable to disciplinary action under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time and to refund the sum along with penal interest thereon to the Government.
and the first of the second state of the secon
(Signature/Thumb impression)
Name of the Government Servant
Designation
Name of the Office
CountersIgned by Controlling Officer